

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 60/2024

अनवान : -

1. सुभाष पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र ठिण्डुराम उर्फ ढन्डुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनीता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:- 14/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.4020 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 4 जेएसएन के खाता सं. 73/70 के कुल खसरा सं. 3 का कुल क्षेत्र. 0.6320 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 3 केएसएन के खाता सं. 8/7 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्र 9.1080 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 1 केएसएन के खाता सं. 6/6 व खाता सं. 92/79 व खाता सं. 5/5 कि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परीवार के मोजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई व पिता के पक्ष में परित्याग चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारिक समझौता वादीगण रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.4020 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 4 जेएसएन के खाता सं. 73/70 के कुल खसरा सं. 3 का कुल क्षेत्र. 0.6320 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 3 केएसएन के खाता सं. के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्र 9.1080 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि पर ब.हि.ब. काबिज है व रोहि मोजा 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

केएनएन के खाता सं. 6/6 व खाता सं. 92/79 व खाता सं. 5/5 कि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को काई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.4020 है० में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 4 जेएसएन के खाता सं. 73/70 के कुल

खसरा सं. 3 का कुल क्षेत्र. 0.6320 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 3 केएनएन के खाता सं. 8/7 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्र 9.1080 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 1 केएनएन के खाता सं. 6/6 व खाता सं. 92/79 व खाता सं. 5/5 कि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया है। उभयपक्षों द्वारा उक्त वाद भूमि को पैतृक दादलाई कृषि भूमि होना जाहिर किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.4020 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 4 जेएसएन के खाता सं. 73/70 के कुल खसरा सं. 3 का कुल क्षेत्र. 0.6320 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 3 केएनएन के खाता सं. 8/7 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्र 9.1080 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोहि मोजा 1 केएनएन के खाता सं. 6/6 व खाता सं. 92/79 व खाता सं. 5/5 कि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

au
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 60/2024

अनवान : -

1. सुभाष पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र ठिण्डुराम उर्फ ढन्डुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनीता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 60 सन 2024 निर्णय दिनांक - 14/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कटारिया तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 4/4 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.4020 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 4 जेएसएन के खाता सं. 73/70 के कुल खसरा सं. 3 का कुल क्षेत्र. 0.6320 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 3 केएनएन के खाता सं. 8/7 के कुल खसरे 37 का कुल क्षेत्र 9.1080 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण सं. 1 ता 2 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व रोहि मोजा 1 केएनएन के खाता सं. 6/6 व खाता सं. 92/79 व खाता सं. 5/5 कि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर